18.11.2022

राज्य द्वारा श्री सचिन्द्र उपाध्याय विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियुक्तगण 01–सिद्दीक उर्फ मंटु, उम्र–28 वर्ष, 02–सद्दाम, उम्र–29 वर्ष, 03– मोहम्मद कमर इब्राहिम, उम्र–28 वर्ष न्यायिक अभिरक्षा से पेश नही, उनकी उपस्थिति सब जेल मण्डलेश्वर से विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दर्ज की गयी।

अभियुक्तगण की ओर से श्री सुदर्शन जोशी अधिवक्ता उपस्थित।

आरक्षी केन्द्र मेनगांव से थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह मय केस डायरी के स्वयं उपस्थित।

श्री सचिन्द्र उपाध्याय विशेष लोक अभियोजक द्व ारा थाना प्रभारी मेनगांव को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपी इस न्यायालय को प्रेषित की गयी, जो अभिलेख के साथ संलग्न की गयी।

थाना प्रभारी की ओर से निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण मे पिडिता द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन के अंतर्गत 04 वर्ष पूर्व या उसके पश्चात से घटना दिनांक 03.09. 2022 के मध्य अभियुक्त द्वारा शारीरिक संबंध स्थापित किया जाना नही बताये जाने ओर अभियुक्त को चार साल पहले से केवल पहचानना बताये जाने के कारण लैगिंक अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम के अपराध की धाराएँ नही लगायी गयी है।

श्री सचिन्द्र उपाध्याय विशेष लोक अभियोजक द्व ारा निवेदन किया गया है कि गुमशुदगी रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट और विभिन्न चिकित्सकीय प्रपत्रो मे पिडिता की आयु 19 वर्ष लिखी है। पिडिता के धारा 161 दं.प्र.सं. के पुलिस कथन दिनांक 25.09.2022 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.09. 2022 में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि आज से चार साल पहले अभियुक्त मंटु उर्फ सिद्दीक ने पिडिता को छत पर बुलाया ओर शादी करने का कहकर संबंध बनाये थे तथा उसके बाद शादी का बोलकर कई बार संबंध बनाये थे। इस कारण पिडिता के साथ प्रथम बार शारीरिक संबंध बनाने की घटना दिनांक 25.09.2022 से चार वर्ष पुर्व हुई थी। पिडिता की वर्तमान आयु 19 वर्ष होने से स्पष्ट है कि तत्समय पिडिता लगभग 15 वर्ष की रही होगी तथा बालक की श्रेणी मे आती थी। इस कारण प्रथम दृष्टया लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध भी बनना प्रकट होता है।

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

पुलिस द्वारा आरोप पत्र मे लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओ का उल्लेख नही किया गया है तथापि इस अधिनियम के आरोप लगाये जाने के पर्याप्त आधार है। लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराधो एवं उसके साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 1989 के अपराधो की सुनवाई के लिये पृथक विशेष न्यायालय गठित है। इस कारण यह प्रकरण/आरोप पत्र लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की सुनवाई के क्षेत्राधिकार रखने वाले विशेष न्यायालय श्री हेमराज सनोडिया, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) के न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु संबंधित आरक्षी केन्द्र को वापस लौटाया जावे।

अभियुक्तगण की ओर से श्री सुदर्शन जोशी अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नही होना व्यक्त करते हुए विधि अनुसार योग्य आदेश प्रदत्त किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

यह आरोप पत्र धारा 376, 376(2)(एन), 344 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. 3(2)(v-a) अजा और अजजा(अत्या. निवा.)अधिनियम 1989 तथा धारा 3, 5 म.प्र.धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के अंतर्गत सीधे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट ओर पिडिता के पुलिस कथन से यह दर्शित होता है कि गुमशुदगी रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट और विभिन्न चिकित्सकीय प्रपत्रो मे पिडिता की आयु 19 वर्ष लिखी है। पिडिता के धारा 161 दं.प्र.सं. के पुलिस कथन दिनांक 25.09.2022 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.09.2022 में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि आज से चार साल पहले अभियुक्त मंटु उर्फ सिद्दीक ने पिडिता को छत पर बुलाया ओर शादी करने का कहकर संबंध बनाये थे तथा उसके बाद शादी का बोलकर कई बार संबंध बनाये थे। इस कारण पिडिता के साथ प्रथम बार शारीरिक संबंध बनाने की घटना दिनांक 25.09.2022 से चार वर्ष पुर्व हुई थी तथा उसके उपरांत भी कई बार संबंध बनाये जाना अभिकथित है। पिडिता की वर्तमान आयु 19 वर्ष होने से

स्पष्ट है कि तत्समय पिडिता लगभग 15 वर्ष की रही होकर वह बालक की श्रेणी मे आती थी। इस कारण अन्य अधिनियमो के अपराधो के साथ–साथ प्रथम दृष्टया लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध भी घटित होना दर्शित होता है।

लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराधो एवं उसके साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 1989 के अपराधो की सुनवाई के लिये पृथक विशेष न्यायालय गठित है। जिसे लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराधो एवं उसके साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 1989 से संबंधित अपराधो का बिना उपार्पण के सीधे संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार है।

इस कारण अभियोजन का निवेदन स्वीकार किया जाकर यह अभियोग पत्र लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 1989 के अपराध की सुनवाई के क्षेत्राधिकार रखने वाले विशेष न्यायालय श्री हेमराज सनोडिया, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) के न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु संबंधित आरक्षी केन्द्र को वापस लौटाया जाता है।

उपस्थित थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र मेनगांव श्री दिनेशसिंह कुशवाह को इस आदेश की प्रति सहित आरोप पत्र वापस लौटाया जाकर प्राप्ति अभिस्वीकृति ली जावे।

थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र मेनगांव को निर्देशित किया जाता है कि यह अभियोग पत्र दिनांक 24.11.2022 को श्री हेमराज सनोडिया, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) के न्यायालय मे प्रस्तुत किया जाए।

अभियुक्तगण 01–सिद्दीक उर्फ मंटु, 02–सद्दाम, 03– मोहम्मद कमर इब्राहिम न्यायिक अभिरक्षा में सब जेल मण्डलेश्वर में निरूद्ध है।

जेल अधीक्षक, सब जेल मण्डलेश्वर को निर्देशित किया जावे कि अभियुक्तगण को आगामी नियत तिथि 24.11.2022 को श्री हेमराज सनोडिया, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) के न्यायालय मे प्रस्तुत किया जावे।

आदेश सीआईएस में अपलोड किया जावे।

प्रकरण वापस लौटाने की सूचना माननीय सत्र

Case No. SCATR ASO 224/2022 of 20

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
न्यायालय को प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति सहित रिमांड पत्रावली श्री हेमराज सनोडिया, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) के न्यायालय को प्रेषित हो। विशेष सत्र प्रकरण से संबंधित पत्रावली संबंधित पंजी/ सीआईएस में परिणाम अंकित किया जाकर अभिलेखागार भेजी जावे। (शमरोज खान) विशेष न्यायाधीश अजा और अजजा(अत्या.निवा.)अधि.1989 मण्डलेश्वर, प.नि.	18/11/2022